निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 कार्तिक 1936 (शo)

(सं0 पटना 957) पटना, शुक्रवार, 21 नवम्बर 2014

सं0 4/क्षे0स्था0सेवानीति–01/10–1090(4)/रा0,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

————————

संकल्प

20 नवम्बर 2014

विषयः–बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय हेतु 101 अमीन के पदों के सृजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 दिनांक 8 जनवरी, 2010 से प्रवृत्त हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भूमि से सम्बन्धित विवादों यथा–बन्दोवस्तधारी या आवंटी की भूमि से अनधिकृत तथा गैर कानूनी बेदखली, आंशिक बेदखली, रैयती भूमि से अनधिकृत एवं गैर कानूनी बेदखली, भू–खण्ड का विभाजन, मानचित्र/सर्वेमानचित्र सहित स्वत्वाधिकार अभिलेखों की प्रवृष्टि में संशोधन, भूमि से सम्बन्धित अधिकारों का प्रख्यापन, सीमा–विवाद, अनधिकृत संरचना निर्माण इत्यादि के तत्काल एवं प्रभावशाली ढंग से निराकरण हेतु अनुमंडल स्तर पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। समय–समय पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के मापी का भी आदेश दिया जाता है। अधिनियम के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अपने न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित कराना है। समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि भूमि की मापी के आदेश भी अनुपालित नहीं हो पाते एवं अनुपालन होने में काफी समय लग रहा है। फलतः "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति आदेश की प्रति लेकर आते रहते हैं। यहाँ तक की उच्च न्यायालय में भी कई मामले ले जाए गए हैं। इन परिस्थितियों में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा होने में समय लगता है। अतएव राज्य के

सभी 101 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के कार्यालय हेतु नियमानुसार एक–एक अमीन के पद सृजन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान्	ग्रेड पे	कुल पदों की संख्या
1	अमीन	5200-20200	2000	101

(1) राज्य के कुल 101 अनुमंडल स्तर के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालयों के लिए 101 अमीन का पद सृजित किया जाता है। इन पदों पर नियमित नियुक्ति की जायेगी, जिसपर कुल वार्षिक व्यय 1,83,86,040.00 (एक करोड़ तिरासी लाख छियासी हजार चालीस रूपया मात्र) अनुमानित है। (परिशिष्ट–'क' संलग्न है)।

(2) पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाले व्यय का भुगतान मुख्य शीर्ष–2029–भू राजस्व–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध–0001–राजस्व प्रशासन पर व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

परिशिष्ट 'क'

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के कार्यालय में एक अमीन पद पर होने वाले व्यय की विवरणी :–

क्र0	पद का नाम	वेतनमान्	मूल वेतन +ग्रेड पे0	महँगाई भत्ता 100 प्रतिशत	चिकित्सा भत्ता	मकान भत्ता 7.5 प्रतिशत	योग (एक माह का अनुमानित व्यय)	एक वर्ष का अनुमानित व्यय	पदों की संख्या	कुल अनुमानित वार्षिक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अमीन	5200–20200	7200	7200	200	570	15170	182040	101	1,83,86,040
कुल			7200	7200	200	570	15170	182040	101	1,83,86,040

(एक करोड़ तिरासी लाख छियासी हजार चालीस रूपया मात्र)

व्यास जी,

प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 957-571+2000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in